भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1023

09 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

अमृत 2.0

1023 श्री लहर सिंह सिरोयाः

श्री केसरीदेवसिंह झालाः

श्रीमती संगीता यादवः

श्री सुभाष बरालाः

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाईः

श्रीमती ममता मोहंताः

श्री नरहरी अमीनः

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः

श्री चुन्नीलाल गरासियाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी 2025 से अब तक कितने शहरों में अमृत 2.0 जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) नल कनेक्शन, गैर-राजस्व जल की कमी और सेवा गुणवत्ता के संदर्भ में प्रगति का मापन किस प्रकार किया जा रहा है;

(ग) जल पुनः उपयोग और सतत शहरी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या तकनीकी या वित्तीय बाधाओं के कारण किन्हीं परियोजनाओं में विलंब हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दीर्घकालिक परिचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): जल एवं स्वच्छता राज्य का विषय है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। यह अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) जैसे विभिन्न मिशनों/योजनाओं के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

अमृत 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में शुरु किया गया, ताकि शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकें। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन का सार्वभौमिक कवरेज देना अमृत 2.0 के विशेष फोकस क्षेत्रों में से एक है। अमृत 2.0 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, प्रस्तावित और क्रियान्वित करने का अधिकार है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश भर के 2,484 शहरी स्थानीय निकायों में अब तक 1,19,636.49 करोड़ रुपये की लागत वाली 3,528 जल आपूर्ति परियोजनाओं को अनुमोदन दिया जा चुका है। अनुमोदित परियोजनाओं में प्रतिदिन 11,160 मिलियन लीटर (एमएलडी) जल शोधन क्षमता का विकास (नई/संवर्धित), 178 लाख नए घरेलू नल कनेक्शन और 1.26 लाख किलोमीटर पाइपलाइन बिछाना (नई एवं प्रतिस्थापित) शामिल हैं।

इसके अलावा, इस मिशन के तहत, 255 अमृत शहरों में अब तक 66,117.69 करोड़ रुपये की लागत वाली 583 सीवरेज/सेप्टेज परियोजनाओं को शामिल करते हुए राज्य जल कार्य योजनाएँ अनुमोदित की जा चुकी हैं। अनुमोदित परियोजनाओं में 6,649 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता (नई/संवर्धित) शामिल है, जिसमें से 1,931 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग के लिए है, साथ ही इसमें65 लाख घरेलू सीवर कनेक्शन और 34,548 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाना शामिल है।

राज्यों द्वारा अमृत 2.0 पोर्टल पर अद्यतित की गई जानकारी के अनुसार, अब तक 79,764.95 करोड़ रुपये की कुल 2,933 जल आपूर्ति परियोजनाएं और 41,695.49 करोड़ रुपये की 443 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरु की जा चुकी हैं। जनवरी 2025 से अब तक 717 शहरी स्थानीय निकायों में 20,187.75 करोड़ रुपये की कुल 908 जल आपूर्ति परियोजनाएं और 64 अमृत शहरों में 15,283.07 करोड़ रुपये की 110 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरु की जा चुकी हैं।

प्रगति को जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के संदर्भ में घरेलू कवरेज के संदर्भ में मापा जाता है। अमृत/अमृत 2.0 के माध्यम से और राज्यों के साथ मिलकर अब तक शहरी क्षेत्रों में 238 लाख जल नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अमृत/अमृत 2.0 के माध्यम से और अमृत शहरों में अन्य योजनाओं के साथ मिलकर 175 लाख सीवर कनेक्शन (फेकल स्लज एंड सेपेज मैनेजमेंट (एफएसएसएम) के माध्यम से कवर किए गए घरों सहित) प्रदान किए गए हैं। 90,457.51 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया गया है/बदला गया है और 26,271 किलोमीटर सीवर नेटवर्क बिछाया गया है/बदला गया है। राज्यों द्वारा उद्योगों, बागवानी, कृषि आदि में लगभग 6,535 एमएलडी शोधित जल का पुन उपयोग किया जाता है।

अमृत 2.0 के तहत, शहरों ने शहरी जल संतुलन योजना (सीडब्ल्यूबीपी) तैयार की है, जिसमें जल आपूर्ति प्रणालियों का मूल्यांकन शामिल है जो स्थायी शहरी जल प्रबंधन के लिए शहरों/यूएलबी की मदद करता है। जलाशय पुनरुद्धार अमृत 2.0 के प्रमुख घटकों में से एक है। इस मिशन के तहत अब तक 6,223.48 करोड़ रुपये की 3,016 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने, विभिन्न प्रकार की पुनर्भरण संरचनाओं को प्रदर्शित करने और जलभृत प्रबंधन के महत्व पर शहर के अधिकारियों और नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, अमृत 2.0 के तहत शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट (एसएएम) पहल को 9 विविध भारतीय शहरों में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। इसे एसएएम 2.0 के तहत 75 अतिरिक्त शहरों तक बढ़ाया गया है।

गैर-राजस्व जल मुद्दों को हल करने के लिए, राज्यों ने अमृत 2.0 के तहत ड्रिंक फ्रॉम टैप (डीएफटी) परियोजनाओं और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए), मीटर, प्रेशर वाल्व आदि को शुरू किया है ताकि रखरखाव प्रणाली, डिजिटल निगरानी, ऊर्जा दक्षता आदि को मजबूत किया जा सके। राज्यों को प्रत्येक अमृत शहर के भीतर जिला मीटर्ड क्षेत्र (डीएमए) या वार्ड में कम से कम एक डीएफटी परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अमृत 2.0 के तहत 16.72 लाख परिवारों को लाभान्वित करने वाले 1,153 डीएमए के साथ 408 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अमृत के तहत 258 जलापूर्ति योजनाओं में एससीएडीए प्रणाली है और अमृत 2.0 के तहत 1,422 जल आपूर्ति परियोजनाओं में एससीएडीए प्रणाली का प्रावधान है। मिशन में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के लिए प्रति कनेक्शन 3,000 रुपये का प्रावधान है।

अमृत 2.0 की परिकल्पना शोधित सीवेज के पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग, जलाशयों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक शहर के लिए शहरी जल संतुलन योजना के विकास के माध्यम से जल की सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए की गई है। 500 अमृत शहरों के लिए अमृत 2.0 के सीवरेज घटक के तहत, शुरू से अंत तक पुन: उपयोग योजना के साथ तृतीयक शोधन (अधिमानतः सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में); शुरू से अंत तक शोधन और पुन: उपयोग के साथ सीवरेज प्रणालियों का प्रावधान/संवर्धन और पुनर्वास; रीसाइक्लिंग के लिए उपयोग किए गए पानी का दोहन; पुनर्नवीनीकरण किए गए पानी के थोक उपयोगकर्ताओं की पहचान करना और संभावित उपयोगकर्ताओं को उपयोग किए गए पानी की बिक्री की सुविधा प्रदान करना (जैसे औद्योगिक क्लस्टर जैसे कपड़ा/चमड़ा/कागज/बिजली संयंत्र/रेलवे, आदि) स्वीकार्य घटक हैं।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 सुधारों के तहत "जल ही अमृत" पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को निरंतर आधार पर पर्यावरणीय मानकों को पूरा करते हुए पुनर्चक्रण योग्य शोधित पानी के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल का फोकस क्षमता निर्माण और शोधित डिस्चार्ज एफ्लुएंट में गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहित करना है। चक्रीयता को संस्थागत बनाने के लिए, संसाधन वसूली हस्तक्षेपों की आयोजना, निगरानी और इसे बढाने के पहल के तहत 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल संसाधन वसूली प्रकोष्ठ (डब्ल्यूआरआरसी) स्थापित किए गए हैं।

अमृत 2.0 के तहत, एसएनए-स्पर्श के माध्यम से राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों के अनुसार परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता वास्तविक समय के आधार पर प्रदान की जाती है। राज्यों को निधियां मूल स्वीकृति के माध्यम से जारी की जाती हैं।

अमृत 2.0 के तहत शुरू की गई परियोजनाएं लंबी निर्माण अवधि वाली बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं। राज्यों द्वारा समय-समय पर दी गई सूचना के अनुसार, परियोजनाओं में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और अनुमोदन मिलने, सांविधिक स्वीकृतियों, भूमि संबंधी मुद्दों आदि में विलंब के कारण देर होती है।

अमृत दिशानिर्देश कम से कम पांच वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) लागत वाली उन परियोजनाओं को शुरू करने का समर्थन करते हैं, जो उपयोगकर्ता शुल्क या

अन्य राजस्व माध्यमों से वित्त पोषित होते हैं। मिशन फ्रेमवर्क में परिसंपत्तियों को स्थायी रूप से संचालित करने और बनाए रखने के लिए यूएलबी की क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क की लेवी और संग्रह, गैर-राजस्व जल में कमी, शोधित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण और वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं में सुधार जैसे सुधारों पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा, अमृत 2.0 के तहत जल ही अमृत और अमृत मित्र जैसी विभिन्न सुधार पहलों के माध्यम से, मिशन जल शोधन संयंत्रों और सीवेज शोधन संयंत्रों के प्रबंधन में राज्यों/यूएलबी को सहायता प्रदान कर रहा है।
